पत्रांक–09 / मु0(उ0वि0)8–19 / 2023...1018

**झारखण्ड सरकार**

**माध्यमिक शिक्षा निदेशालय**

**(स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग)**

**E-mail : dirsecednjhk@rediffmail.com, dirsecednjhk@gmail.com**

**प्रेषक,**

**के0 रवि कुमार, भा0प्र0से0,**
सरकार के सचिव।

**सेवा में,**

**सभी उपायुक्त–सह–अध्यक्ष,**
**जिला शिक्षा स्थापना समिति (मा0 शि0),** झारखण्ड।
(गुमला, लोहरदगा एवं पश्चिमी सिंहभूम को छोड़कर)

राँची, दिनांक 31/03/2023

**विषयः–** **Cont. No. 000612/2022 in Civil Appeal (C)No. 4044 of 2022 Soni Kumari Vrs. K.Ravi Kumar में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15.12.2022 को पारित न्यायादेश की कंडिका–3 के अनुपालन में झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, रांची से प्राप्त अनुशंसा के संबंध में।**

प्रसंगः– झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, रांची का पत्रांक–353 दिनांक 17.03.2023

**महाशय,**

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि Cont. No. 000612/2022 in Civil Appeal (C)No. 4044 of 2022 Soni Kumari Vrs. K.Ravi Kumar में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15.12.2022 को पारित न्यायादेश की कंडिका–3 के अनुपालन में झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, रांची द्वारा संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा–2016 (मुख्य) के आधार पर माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के मूलयाचिकाकर्त्ताओं के रूप में सूचीबद्ध सुयोग्य 332 अभ्यर्थियों के स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु प्रसंगाधीन पत्र द्वारा अनुशंसा उपलब्ध करायी गयी है।

2. उक्त अवमाननावाद में दिनांक 15.12.2022 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश की कंडिका–3 निम्नवत् है :–

Thereafter, the appointment to be made with respect to 425 candidates who were the original writ petitioners before the High Court as well as in whose favour subsequently some orders are passed by the High Court :

3. <u>उक्त न्यायादेश की कंडिका–3 के अनुपालन में आयोग द्वारा विषयवार प्रेषित अनुशंसा निम्नवत् है:–</u>

D:/ Su.H/ letter/smita

| क्र.सं. | विषय | आयोग से प्राप्त अनुशंसा |
|---|---|---|
| 1 | बंगला | 01 |
| 2 | जीव विज्ञान एवं रसायनशास्त्र | 25 |
| 3 | वाणिज्य | 16 |
| 4 | अर्थशास्त्र | 11 |
| 5 | अंग्रेजी | 23 |
| 6 | भूगोल | 31 |
| 7 | हिन्दी | 29 |
| 8 | इतिहास एवं नागरिकशास्त्र | 123 |
| 9 | गृह विज्ञान | 03 |
| 10 | गणित एवं भौतिकी | 31 |
| 11 | संगीत | 02 |
| 12 | शारीरिक शिक्षा | 18 |
| 13 | संस्कृत | 05 |
| 14 | उर्दू | 14 |
| | कुल | 332 |

जिलावार/विषयवार अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची अनुलग्नक–1 के रूप में संलग्न है।

4. अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति, संबंधित नियुक्ति नियमावली में निर्धारित शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता के अनुरूप ही की जानी है। इस संदर्भ में Civil Appeal No. 152/2022 में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिनांक 20.01.2022 को पारित न्यायादेश में आदेश पारित किया गया है कि विज्ञापन एवं नियमावली में विरोधाभास की स्थिति में नियमावली के प्रावधान ही प्रभावी होंगे।

5. नियुक्ति नियमावली झारखण्ड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवाशर्त नियमावली, 2015 की कंडिका–9(I)(i) में शैक्षणिक योग्यता के संदर्भ में निम्न प्रावधान है :–

राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय, जिसमें नियुक्ति होनी है, में न्यूनतम 45% अंको के साथ स्नातक डिग्री अनिवार्य होगी। परन्तु अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थी हेतु न्यूनतम 40% अंकों के साथ स्नातक डिग्री अनिवार्य होगी।

परन्तु यह कि प्राच्य भाषा (संस्कृत, उर्दू, अरबी एवं फारसी) के शिक्षक हेतु राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ समिति द्वारा प्रदत्त आचार्य (साहित्य अथवा व्याकरण) फाजिल (अरबी अथवा उर्दू, फारसी) की डिग्री अथवा संस्कृत, फारसी, उर्दू एवं अरबी भाषा में स्नातकोत्तर की डिग्री अनिवार्य होगी।

शारीरिक शिक्षकों के लिए राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला, विज्ञान अथवा वाणिज्य में न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक डिग्री अनिवार्य होगी। परन्तु अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40% अंकों के साथ स्नातक डिग्री अनिवार्य होगी।

6. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा LPA No.-403/2016 में दिनांक 10.05.2018 को पारित आदेश में शैक्षणिक योग्यता के संदर्भ में नियमावली के प्रावधान की व्याख्या करते हुये यह स्पष्ट किया गया है कि जिस विषय में नियुक्ति होनी है वह विषय अभ्यर्थी का मुख्य विषय होना चाहिए न कि सब्सिडियरी विषय। इस संदर्भ में निदेशालीय पत्रांक– 1954 दिनांक 21.10.2021 द्वारा निर्णय पूर्व से संसूचित है।

उपरोक्त LPA No. 403/2016 में दिनांक 10.05.2018 को पारित आदेश के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर SLP (C) Dairy No. 549/2023 Awdhesh Kumar Singh & Ors. Vrs. The State of Jharkhand & Ors में दिनांक 06.02.2023 को पारित न्यायादेश द्वारा उक्त SLP को Delay एवं साथ ही Merit के आधार पर खारिज कर दिया गया है।

7. विभागीय अधिसूचना संख्या–434 दिनांक–01.03.2016 द्वारा प्रख्यापित झारखण्ड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त नियमावली, 2015 के अध्याय–4 नियम–7(ii) के अनुसार सरकारी माध्यमिक विद्यालय में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक का संवर्ग जिला स्तरीय है तथा इनके नियुक्ति प्राधिकार जिला स्थापना समिति के सदस्य सचिव/जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं।

8. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रेषित उक्त अनुशंसा पूर्णतः औपबंधिक है अतएव अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु संबंधित जिला स्तरीय स्थापना समिति की पूरी–पूरी जवाबदेही होगी कि छान–बीन/भौतिक जाँच (Counselling) एवं अभिलेखों/दस्तावेजों के पूर्ण सत्यापन के उपरान्त शीघ्रातिशीघ्र नियुक्ति आदि से संबंधित अंतिम निर्णय लेंगे।

9. उक्त समिति सभी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक, जाति, आवासीय आदि प्रमाण पत्रों की वैधानिक स्थिति एवं मान्यता आदि के संबंध में अंतिम रूप से पूर्णतया संतुष्ट होकर ही नियमानुसार नियुक्ति संबंधी कार्रवाई करेंगे।

अतः आयोग से प्राप्त उपरोक्त 332 अनुशंसा संबंधी फोल्डर एवं प्रसंगाधीन पत्र की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि नियुक्ति नियमावली में निहित प्रावधान एवं नियुक्ति के संदर्भ में समय–समय पर निर्गत दिशा–निदेशों के आलोक में उपरोक्त अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय। चूँकि यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय

से आच्छादित है, अतएव नियुक्ति की कार्रवाई **दिनांक 15.04.2023** पूर्ण करते हुये अनुपालन प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

**अनु0**—यथोक्त।

ह0/- 31/3/23

**(के0 रवि कुमार)**
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक—09 / मु0(उ0वि0)8—19 / 2023 1018 राँची, दिनांक 31/03/2023

प्रतिलिपिः— सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी (गुमला, लोहरदगा एवं पश्चिमी सिंहभूम को छोड़कर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. निदेश दिया जाता है कि अनुशंसित अभ्यर्थियों का अनुशंसा संबंधी मूल फोल्डर प्राप्त करने हेतु किसी कर्मी को नामित कर भेजी जाय, ताकि उसे मूल फोल्डर हस्तगत कराया जा सके। मामले की गंभीरता को देखते हुये जिला शिक्षा स्थापना समिति में मामले को रखते हुये नियुक्ति की कार्रवाई यथाशीघ्र पूर्ण किया जाय।

ह0/- 31/3/23

**(के0 रवि कुमार)**
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक—09 / मु0(उ0वि0)8—19 / 2023 1018 राँची, दिनांक 31/03/2023

प्रतिलिपिः— सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/- 31/3/23

**(के0 रवि कुमार)**
सरकार के सचिव।

D:/ Su.H/ letter/smita

## No. of Recommendation Subjectwise/Districtwise of Toal Petitoners List -332 Regarding CGTTCE-2016

| Sl.No. | District | Bangla | Bio/Chem | Commerce | Economics | English | Geography | Hindi | His/Civics | Home Sci | Math/Phy | Music | Phy.Edu | Sanskrit | Urdu | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ranchi | | 2 | | 3 | | | 3 | 30 | | 1 | | | | | 39 |
| 2 | Gumla | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 3 | Khunti | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 2 |
| 4 | Lohardaga | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5 | Simdega | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| 6 | Palamu | | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 12 | 1 | 1 | | 3 | | 1 | 41 |
| 7 | Garhwa | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | | 2 | | 2 | | | 26 |
| 8 | Latehar | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| 9 | Bokaro | | 5 | | | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | | | 1 | 1 | 18 |
| 10 | Chatra | | | | | 1 | | | 6 | | | | | | 1 | 8 |
| 11 | Dhanbad | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 5 | | 3 | | 2 | | 1 | 21 |
| 12 | Giridih | | 5 | | | 6 | 6 | 7 | 11 | 1 | 12 | | 2 | 2 | 3 | 55 |
| 13 | Hazaribag | | | | 1 | 2 | 4 | | 2 | | 1 | | 1 | | 3 | 14 |
| 14 | Koderma | | 1 | | | 1 | 1 | | 2 | | | | | | 1 | 6 |
| 15 | Ramgrah | | | 4 | | 2 | 1 | | 4 | | | | 1 | | 1 | 13 |
| 16 | Deoghar | | | 2 | 1 | 2 | | 2 | 6 | | | 1 | | | 1 | 15 |
| 17 | Dumka | | | 2 | | | 1 | | 2 | | | | 2 | | | 7 |
| 18 | Godda | | 1 | 1 | | 3 | 8 | 6 | 7 | | 8 | 1 | 2 | 2 | | 39 |
| 19 | Jamtara | | | 1 | | | | | 5 | | | | | | 1 | 7 |
| 20 | Pakur | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| 21 | Sahibganj | | | | | 1 | 1 | | 2 | | | | 2 | | | 6 |
| 22 | East Singhbhum | | | | | | 1 | | 8 | | | | | | | 9 |
| 23 | Saraikela-Kharsawan | | | | | | | | 2 | | | | 1 | | | 3 |
| 24 | West Singhbhum | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | **Total** | **1** | **25** | **16** | **11** | **23** | **31** | **29** | **123** | **3** | **31** | **2** | **18** | **5** | **14** | **332** |

*Corrected_Copy*